

दस्तावेज १८२३ स्था./ अविका. / 2021

इन्दौर, दिनांक : १८.०७.२०२१

## // स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई के सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की भर्ती सूचना //

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के द्वापर क्रमांक ५५ २-०६/२०१८/१-५५ भोपाल दिनांक ०७.०४.२०१८ द्वारा म.गॉ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम २०१८ एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर म.गॉ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के संबद्ध स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई इन्दौर के सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र प्राप्त कर भर्ती परीक्षा के आधार पर प्रावीण सूची एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से तैयार की जानी है। इस हेतु निर्धारित शर्तों के अधीन आवेदन पत्र एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं।

स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई इन्दौर के रिक्त पदों पर आवेदन का प्रारूप एम.पी. ऑनलाईन की वेबसाईट [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर आनलाईन उपलब्ध रहेगा तथा आवेदन की अंतिम तिथि दिनांक ०६.०९.२०२१ समय रात्रि १२.०० बजे तक आनलाईन भरे जा सकेंगे।

### 1. पदों का विवरण :-

सीधी भर्ती :- सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी

क्र.	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	विना वर्ग					भूतपूर्व सैनिक					दिव्यांग				
			UR	SC	ST	OB C	EWS	UR	SC	ST	OB C	EWS	UR	SC	ST	OB C	EWS
1	आर्टोमेट्रिस्ट	08	02	01	02	02	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	लैब टेक्नीशियन	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	फार्मासिस्ट कंप्रिस्ट	02	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ओ.टी. टेक्नीशियन	08	02	01	02	02	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	एनेरगेशन टेक्नीशियन	02	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	सीएसएसडी टेक्नीशियन	06	03	01	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	लैब अटेन्डेंट	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	ओपीडी अटेन्डेंट	10	02	02	02	02	02	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-

सीधी भर्ती :- सह चिकित्सकीय के संवर्ग के संविदा कर्मचारियों हेतु आरक्षित रिक्त पदों की जानकारी  
 (आवेदक शासकीय संस्था में न्युनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो)

क्र.	पदनाम	कुल पद	विना वर्ग					भूतपूर्व सैनिक					दिव्यांग				
			UR	SC	ST	OB C	EWS	UR	SC	ST	OB C	EWS	UR	SC	ST	OB C	EWS
1	आर्टोमेट्रिस्ट	02	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ओ.टी. टेक्नीशियन	02	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ओपीडी अटेन्डेंट	02	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

संक्र.	पद का नाम	वेतनमान	न्यूनतम आयु सीमा	न्यूनतम अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आप्टोमेट्रिस्ट	5200-20200+2800	18 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>जीव विज्ञान, रसायन तथा भौतिकी में बी.एस.सी. उत्तीर्ण होना चाहिए।</li> <li>नेत्र सहायक का 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राज्य की चिकित्सा संस्था से उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा आप्टोमेट्री एण्ड रिफ्रेक्शन में डिप्लोमा तथा नेत्रशिविर तथा अन्य में 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।</li> <li>म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।</li> </ol>
2	लैब टेक्नीशियन	5200-20200+2800	18 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</li> <li>मान्यताप्राप्त संस्थान से पैथालॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डी.एम.एल.टी.) / क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री का डिप्लोमा / माईक्रोबायलॉजी का डिप्लोमा</li> <li>म.प्र.पैरामेडिकल कौसिल का पंजीयन आवश्यक</li> </ol>
3	फार्मासिस्ट केमिस्ट	5200-20200+2800	18 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>बी.एस.सी. फार्मास्युटिकल केमेस्ट्री के साथ अथवा बी.फार्मा में स्नातक, फार्मास्युटिकल केमेस्ट्री के साथ</li> </ol>
4	ओ.टी. टेक्नीशियन	5200-20200+2800	18 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</li> <li>मान्यताप्राप्त संस्थान से ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र</li> <li>म.प्र.पैरामेडिकल कौसिल का पंजीयन आवश्यक</li> </ol>
5	ऐनेरिथसिया टेक्निशियन	5200-20200+2800	18 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</li> <li>मान्यताप्राप्त संस्थान से ऐनेरिथसिया टेक्नीशियन का डिप्लोमा /</li> <li>म.प्र.पैरामेडिकल कौसिल का पंजीयन आवश्यक</li> </ol>
6	सीएसएसडी टेक्निशियन	5200-20200+2800	18 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</li> <li>मान्यताप्राप्त संस्थान से सीएसएसडी टेक्नीशियन का डिप्लोमा /</li> <li>म.प्र.पैरामेडिकल कौसिल का पंजीयन आवश्यक</li> </ol>
7	लैब अटेंडेंट	4440-7440+1300	18 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>बायोलॉजी, फिजिक्स, केमेस्ट्री विषयों के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</li> </ol>
8	ओपीडी अटेंडेंट	4440-7440+1300	18 वर्ष	<ol style="list-style-type: none"> <li>बायोलॉजी, फिजिक्स, केमेस्ट्री विषयों के साथ 10+2 शिक्षा पद्धति में 12 वीं परीक्षा उत्तीर्ण</li> </ol>

महगांई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ मध्यप्रदेश शासन नियमानुसार लागू होंगे।

### 3. आरक्षण :-

- पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
- उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे आर्थिक विभागों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हों।
- सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग भोपाल द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 19.01.2015 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु क्षेत्रिज आरक्षण लागू होगा।
- विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांग प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो प्रस्तुत करना होगा।

अरिथ बाधित | अरिथित बाधित (45%-50%) शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है।

- मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2002/अ.प्र. /एक भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण ) नियम 1988 के नियम- 4(ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अंतर्गत "4-ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबोध" में

2  
४४४०

यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति जिला मण्डल, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैंगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा।

7. दिव्यांगजन के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8-4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोपाल दिनांक 17 सितम्बर 2018 अनुसार रहेगा।
8. उक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ-9-3/2012/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2012 के अनुसार रहेगा।
9. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. सी 5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार रहेगा।
10. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

#### 4. आवेदन शुल्कः—

अनारक्षित वर्ग हेतु 1000/- (एक हजार रुपये) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 800/- (आठ सौ रुपये) एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर कीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये 900/- (नौ सौ रुपये) राशि आनलाईन जमा होगी।

#### 5. आयुसीमा :-

- |   |   |
|---|---|
| 1. अनारक्षित वर्ग हेतु  | - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष                                      |
| 2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय /निगम/मण्डल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक /निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि हेतु | - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट) |

नोटः— आयु की गणना 01 जनवरी 2021 के आधार पर की जावेगी।

#### 6. सामान्य शर्तः—

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. ऐसे अस्थर्थी जो शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपकरण में कार्यरत है एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हों उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर कीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगा।
5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

6. अधिकारी, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
7. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिकारी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में मान्य होगा।
9. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
10. वैवाहिक स्थिति – एक से अधिक विवाह किये गये उमीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
11. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होगी।
12. संविदा अवधि अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य की जावेगी।
13. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उमीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उमीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उमीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होने आवेदन किए पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियों एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यार्थी को वरीयता दी जावेगी।
14. सह चिकित्सकीय संवर्ग के पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लेवें।

## 7. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र :-

सह चिकित्सकीय संवर्ग को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी।

## 8. अनहर्तार्ये :-

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उमीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :–

1. जिसने अपनी उमीदवारी के लिये भर्ती में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो या प्रतिरूपण (इम्परसोनेशन) किया हो या कराया हो या
  2. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या
  3. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
  4. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
  5. साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारिरिक क्षति पहुंचाई हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो या
  6. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उमीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :–
- अ. महिला उमीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।

- स. किसी अपराध का दोष सिद्ध रहता होया हो।
- द. जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरहित नहीं होगा यदि एक संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।
७. ऐसा उम्मीदवार जिसके विलक्ष नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

## 9. चयन प्रक्रिया:-

- विज्ञापित पदों हेतु अभ्यर्थियों के चयन के संबंध में अवगत किया जाता है कि अभ्यर्थियों की भर्ती परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रावीण्य सूची एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से तैयार की जानी है। उक्तानुसार योग्य पाये जाने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलाया जावेगा एवं प्रवेश दिया जावेगा।
- प्रत्येक श्रेणी हेतु एम.पी.ऑनलाईन द्वारा सह चिकित्सकीय संवर्ग की पृथक-पृथक प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी। संवर्गवार सामान्य प्रावीण्य सूची भी तैयार की जावेगी।
- प्रावीण्य सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा। अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी, जिन्होंने आवेदन किये हुये पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता से अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियां एक से अधिक आवेदक के लिये समान हों तो कक्षा बारहवीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
- दस्तावेज सत्यापन में त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
- दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी।
- भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जावेगा।
- आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिये निम्न लिखित प्रमाण पत्र आवश्यक हैं:-
  - निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
  - निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी म.प्र. शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा अतिरिक्त पिछड़वर्ग में गैर कीमी लेयर प्रमाण पत्र।

## 10. आवेदन संबंधी समय तालिका :-

क्रमांक	गतिविधि	तारीख
1	ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि	07.08.2021
2	ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि	06.09.2021
3	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि	
4	आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि	

उपरोक्त तिथियाँ म.गॉ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित की जा सकती है।

एम.पी.ऑनलाईन तथा म.गॉ. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर की वेबसाईट का समय-समय पर अवलोकन करते रहें। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन भरने व निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् उसके द्वारा की गई कोई त्रुटि सामने आती है तो ऐसे अभ्यर्थी त्रुटि सुधार की अंतिम दिनांक तक संबंधित त्रुटि को एम.पी.ऑनलाईन द्वारा प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिये निर्धारित शुल्क 50 रुपये तथा जी.एस.टी. जमा कर सुधार कर सकेंगे। परंतु इसके पश्चात् भी यदि अभ्यर्थी द्वारा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाईन आवेदन में दी जाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जावेगी।

## 11. आवेदन कैसे करें:-

- कृप्या आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
- आवेदन पत्र एम.पी. आनलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) की बेवसाईट उपलब्ध है।
- आवेदन के साथ दस्तावेजों की निम्नलिखित स्कैन की गई प्रतियां उम्मीदवार द्वारा अपलोड किया जाना अनिवार्य है :-
  - जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्मप्रमाण पत्र
  - आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/फाईनल ईयर की मार्कशीट।
  - मध्यप्रदेश में संबंधित कांउसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
  - फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
  - उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर।
  - 12 वीं कक्षा की अंकसूची
  - जति प्रमाण पत्र
- प्रत्येक दस्तावेज फोटो एवं सिग्नेचर सहित 200 के.बी. आकार से अधिक ना हो।

### 4. ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी:-

आवेदन पत्र एम.पी.आनलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर दिये लिंक पर उपलब्ध है। परीक्षा आवेदन फार्म ऑनलाईन मध्यप्रदेश के जिला, तहसील एवं ब्लॉक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एम.पी. ऑनलाईन के अधिकृत कियास्कों के माध्यम से भरा जा सकता है एम.पी.ऑनलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिये एम.पी.आनलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) पर Authorized Kiosk list link देखें। आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं अपना ऑनलाईन फार्म भर सकते हैं।

### 5. इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्युटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि:-

- आवेदन एम. पी. आनलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) बेवसाईट के माध्यम से होम पेज में नागरिक सेवायें ऑप्शन पर क्लिक करें फिर ड्रापडाउन से आवेदन ऑप्शन से क्लिक करने के पश्चात महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय इन्डौर के लोगों पर क्लिक कर एप्लीकेशन एप्ड सर्विसेस ऑप्शन में उपरोक्त पद हेतु ऑनलाईन आवेदन करने के लिये दी गई लिंक पर क्लिक करें।
- आवेदक ऑनलाईन फार्म भरने से पहले विज्ञप्ति को एम.पी. आनलाईन [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) बेवसाईट के माध्यम से म.गा.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्डौर की बेवसाईट [www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in) पर दिये गये लिंक से दी गई जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके उपरांत ही ऑनलाईन फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियां सही सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse ब्राउस दिखाई देगा। जिसमें आवेदक अपना नवीन फोटो हस्ताक्षर सहित अटैच करना है, इस बटन के नीचे आवेदक के फोटो हस्ताक्षर के साथ (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें) दिखाई देगी। Hyperlink को क्लिक करने पर हस्ताक्षर सहित फोटो के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन करें Jpg. 200 kb size or minium) फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browses बटन पर क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।
- आवेदक ऑनलाईन फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह से पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर लें कि फार्म में जो भी जानकारी भरी है वह सही है। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई हो तो पुनः उसे ठीक करें, इसके उपरांत Submit बटन दबायें। इससे

आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिये Proceed to payment बटन दबायेगा तो उसे परीक्षा शुल्क भुगतान हेतु दो ऑप्शन दिखाई देंगे।

#### अ. क्रेडिट/डेबिट कार्ड ब. इंटरनेट बैंकिंग

- अ. क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान— आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटरनेट के माध्यम से कम्प्युटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। ऑनलाईन फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट/डेबिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिये Proceed to payment बटन दबाने पर कम्प्युटर स्क्रीन पर संबंधित का पैमेट गेटवे दिखाई देगा इसमें क्रेडिट/डेबिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा शुल्क भुगतान की प्रक्रिया सफलता पूर्वक पूर्ण होने के उपरांत कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी, जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
- ब. इंटरनेट माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान :— आवेदक चाहे तो घर बैठें इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से कम्प्युटर द्वारा अपना फार्म भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिये आवेदक के पास नेट बैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक ऑनलाईन फार्म भरने के उपरांत Proceed to payment बटन दबायेगा यहां पर उसे इंटरनेट बैंकिंग ऑप्शन दिखाई देगा इसे विलक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक अकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलता पूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावटी नम्बर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट अवश्यक लें।

#### 6. एम.पी. ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :—

आवेदक ऑनलाइन आवेदन फार्म भरने के लिये अपने नजदीकी एम.पी.ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक [www.mponline.gov.in](http://www.mponline.gov.in) वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉग—इन टाईप में कियोस्क सिलेक्ट कर लॉग—इन करेगा। इसके उपरान्त सिटिजन सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने सम्बन्धी निर्देश और जानकारियाँ आवेदक को उपलब्ध करायेगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ लें ताकि मॉगी गई समस्त जानकारियाँ फार्म में सही से भरी जा सके। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारियाँ फार्म में सही से भरी जा सके। इसके उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना नवीन रंगीन पासपोर्ट साइज को फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरान्त आवेदक कियोस्क संचालक को Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरान्त ही कियोस्क संचालक को परीक्षा शुल्क नगद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा अपने पास संभालकर रखें।

7. जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरी उत्तरदायित्व आवेदक का होगा। असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की पात्रता निरस्त की जा सकेगी।
8. यदि आवेदक के पास क्रेडिट/ डेबिट कार्ड या नेटबैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application लिंक द्वारा परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। परीक्षा शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।

9. इसके लिये आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरान्त अपने नजदीक में स्थापित एम.पी.ऑनलाईन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्म तिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरान्त कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application में उक्त जानकारियों भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरान्त Proceed to Payment बटन दबाकर परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें। ऑनलाईन पेमेंट करने पर, यदि पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है/ पेमेंट रसीद जेनरेट नहीं हो रही है तो तत्काल पुनः पेमेंट कर रसीद जेनरेट कर सुरक्षित रखें। पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।

ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे जिन्हें ऑलाईन भरने के बाद प्रिन्ट लेकर एम.पी. ऑनलाईन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जायेगा। परीक्षा शुल्क के लिये किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।

**नोट :-** यदि आपको ऑनलाईन फार्म भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नम्बर पर तत्काल संपर्क करें एवं समस्या का समाधान न होने पर एम.पी. ऑनलाईन के होमपेज पर संपर्क करें में विलक करें तथा शिकायत विकल्प में जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

एम.पी. ऑनलाईन लिमिटेड तीसरा फ्लोर स्टेट आई टी. पार्क अब्बास नगर नियर आरजीपीवी, गॉधी नगर भोपाल – 462033, फोन :– 0755 6720200 / 0755–6720222 पर संपर्क करें।

## 12. महत्वपूर्ण टीप :-

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे एम.पी.आनलाईन/शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर की वेबसाईट [www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवें। इस संबंध में एम.पी.ऑनलाईन/शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो उसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

नवीन सूचनाओं हेतु शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर की वेबसाईट [www.mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in) का अवलोकन निरंतर करते रहें।

(डॉ. संजय दीक्षित)

अधिष्ठाता

म.गा.स्मृति शासकीय स्वशासी चिकित्सा  
महाविद्यालय इन्दौर(म.प्र.)

13/07/2021